न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

निर्णय दिनांक 9.7.20

प्रकरण संख्या 40/2020

उनवान

1. नरसी पुत्र स्व0 श्योनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम कनकटा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर, राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी ग्राम श्रीचांदपुरा तहसील कोटखावदा में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 207, 208 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0 भूमि वाके ग्राम श्रीचांदपुरा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है , प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व दिनांक 22.06.2020 को करवा लिया गया है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार द्वारा [illegible] पत्र के पैरा संख्या 1 से 3 स्वीकार किया व शेष पेराज [illegible] हुए पेश किया गया। प्रार्थी वकील को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 207, 208 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0 भूमि वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

श्रीचांदपुरा तहसील कोटखावदा की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested